न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या : 215/2014

सायलान :- बनाम गै0सा0 :-

1. माडीदेवी पत्नी धर्माराम
2. किरण पुत्री धर्माराम
   जातियान-जाट, निवासी-केकिन्दडा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

1. धर्माराम पुत्र सुखाराम
   जाति-जाट निवासी-केकिन्दडा
   तहसील-जैतारण जिला-पाली
2. तहसीलदार एवं उप पंजीयन
   अधिकारी, जैतारण
   तहसील-जैतारण जिला-पाली

राजस्व प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अर्न्तगत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 व 151 सीपीसी

तारीख रजू:. 22/12/2014

उपस्थितः- 1. श्री रामस्वरूप चौधरी, अधिवक्ता, सायलान।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, गै0सा0।

-:: निर्णय ::- दिनॉकः- 13/07/2015

वकील मय सायलान ने एक प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-केकिन्दडा, पटवार हल्का-केकिन्दडा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 140 रकबा 2-14 बीघा, खसरा नंबर 140/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 140/4 रकबा 1-13 बीघा, खसरा नंबर 144 रकबा 4-18 बीघा, खसरा नंबर 145 रकबा 3-03 बीघा, खसरा नंबर 148 रकबा 0-09 बीघा, खसरा नंवर 149 रकबा 0-12 बीघा, खसरा नंबर 155 रकबा 2-06 बीघा, खसरा नंबर 156 रकबा 2-07 बीघा, खसरा नंबर 178 रकबा 5-17 बीघा, खसरा नंबर 270 रकबा 5-16 बीघा, खसरा नंबर 270/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 272 रकबा 1-01 बीघा, खसरा नंबर 323 रकबा 34-09 बीघा, खसरा नंबर 324 रकबा 58-15 बीघा, खसरा नंबर 608 रकबा 10-16 बीघा, खसरा नंबर 773/1 रकबा 10-10 बीघा, खसरा नंबर 779 रकबा 15-01 बीघा, खसरा नंबर 783/1 रकबा 6-08 बीघा, खसरा नंबर 824 रकबा 13-10 बीघा, कुल खसरा 20 कुल रकबा 180-07 बीघा व खसरा नंबर 254 रकबा 12-18 बीघा, खसरा नंबर 260 रकबा 4-16 बीघा, कुल खसरा 02 कुल रकबा 17-14 बीघा की आई हुई हैं। जिस पर सायलान के ससुर व दादा सुखाराम वक्त सैटलमेन्ट से शांतिपूर्वक रुप से निरन्तर बिना किसी रोकटोक के कब्जा काश्त चला आ रहा हैं। नकल जमाबंदी प्रार्थना पत्र के साथ पेश की हैं, जिसे प्रार्थना पत्र का आवश्यक भाग माना जावें। उक्त वर्णित आराजी में जो कि सायलान की पैतृक व पुश्तैनी आराजी है तथा मौके पर सायलान व गैरसायलान संख्या एक का बिना किसी रोकटोक के शांतिपूर्वक से काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु राजस्व रेकर्ड में सायलान का नाम दर्ज नहीं हैं तथा गैरसायलान संख्या एक का नाम दर्ज हैं। क्योकि सायलान के ससुर व दादा सुखाराम का उक्त वर्णित आराजी में नाम दर्ज था। जिनके फौत होने के बाद हिन्दू उत्तराधिकारी अधिनियम के तहत बतौर वारीसान के गैरसायलान संख्या एक का नाम दर्ज हुआ था। परन्तु सायलान के ससुर व दादा के फौत होने के पश्चात हिन्दू

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

उत्तराधिकारी अधिनियम की धारा 08 के तहत स्वतः ही सायलान का उपरोक्त वर्णित आराजी में हक व अधिकार प्राप्त हो जाता हैं। सायलान का अपनी इस पुश्तैनी आराजी पर शांतिपूर्वक कब्जा हैं, तथा गैरसायलान संख्या एक मात्र राजस्व रेकर्ड में अकेले का नाम दर्ज होने के आधार पर गैरसायलान संख्या एक उक्त आराजी को किसी अजनबी केता को रहन, बेचान, बक्शीश व हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं एवं सायलान को मौके से बेदखल करने पर उतारु हैं। यदि गैरसायलान अपने इन ईरादों में कामयाब हो जाते है, तो सायलान को अरीग क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी कदर संभव नहीं है तथा सायलान अपने जायज व साम्पैतिक अधिकारों से हमेशा के लिये महरुम हो जायेगी। इसलिए सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र स्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। दिनांक 15/12/2014 को गैरसायलान संख्या एक जो झगडालू प्रवृति का व्यक्ति हैं एवं आये दिन उक्त भूमि को लेकर सायलान से लडाई झगडा करता रहता हैं एवं उक्त विवादित आराजी को रहन, बैचान, व अन्य हस्तान्तरण करने पर आमादा हैं। यदि गैरसायलान संख्या एक अपने इन गैरकानूनी ईरादों में कामयाब हो जाता हैं, तो सायलान के भूखें मरने की नौबत आ जायेगी। चूंकि सायलान के पास उक्त वर्णित भूमि के अलावा अन्य कोई काश्त हेतु आराजी नहीं हैं। उक्त वर्णित एक मात्र आराजी जिस पर सायलान अपना पेट पालती हैं एवं अपना भरण पोषण करती हैं। यदि उक्त वर्णित आराजी को भी गैरसायलान संख्या एक उक्त भूमि को बेचान कर देता हैं, तो सायलान भूमिहीन हो जायेगी एवं उसके पास अन्य कोई आराजी नहीं बचेगी तथा सायलान गैरसायलान संख्या एक के ऐसे अवैधानिक कृत्य का विरोध करेगी। जिससे मौके पर लडाई झगडे होगें, विवाद बढेगा, अनेको प्रकार की मुकदमेंबाजी होगी। जिससे मल्टीप्लीसिटी ऑफ प्रोसिडिंग्स बढेगी। इन सब विवादो से बचने के लिये सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं। गैरसायलान संख्या एक पिछले काफी समय से लडाई झगडा व गाली गलौच करता चला आ रहा हैं। परन्तु सायलान ने अपने रिश्ते की मर्यादा को देखते हुए चुपचाप सब कुछ सहन करते चले आ रहे हैं। परन्तु गैरसायलान संख्या एक सारी मर्यादा को ताक में रखकर सायलान संख्या एक को घर से बाहर निकाल दिया व घर के ताले लगा दिए हैं। तब सायलान संख्या एक अपनी पुत्री सायलान संख्या दो किरण के साथ रह रही हैं। गैरसायलान संख्या एक उक्त वर्णित आराजी को अब किसी भी पैतृक पुश्तैनी संपति को मात्र नाम दर्ज होने के आधार पर अजनबी केता को बेचान को आमादा हैं एवं गैरसायलान संख्या एक ने सायलान को एलानिया धमकी दी कि उक्त वर्णित आराजी में पांव भी नहीं रखें अन्यथा उसे जान से खत्म कर दूंगा एवं उक्त वर्णित आराजी को अन्य हस्तान्तरण बेचान कर दूंगा एवं सायलान को एक इंच भी जमीन भी दूंगा। यदि गैरसायलान संख्या एक अपने नापाक ईरादों में कामयाब हो जाता हैं, तो सायलान भूमिहीन हो जायेगे एवं अपने साम्पैतिक हक व अधिकारों से महरुम हो जायेगे। भूमि बेचान होने के बाद में सायलान को अपूरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। तब सायलान के पास अन्य कोई विकल्प शेष नहीं रहने से यह प्रार्थना पत्र बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश हैं। मौके पर कब्जा व काश्त के आधार पर सायलान का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी सायला के पक्ष में प्रगाणित हैं। यदि गैरसायल उक्त विवादित आराजी में अपने नाम दर्ज होने के आधार पर उक्त पैतृक पुश्तैनी आराजी किसी अन्य अजनबी केता को रहन, बेचान व अन्य हस्तान्तरण कर देता हैं या सायलान

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा (टोंक)

Scanned by CamScanner

को जबरदस्ती बेदखल कर देता हैं, तो सायलान को अपरणीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कदर संभव नही हो सकेगी। जिससे सुविधा का संतुलन भी सायलान के पक्ष में प्रमाणित हैं। इसलिये प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा का विरुद्ध गैरसायलान के पेश किया हैं।

सायलान का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। गै0सा0 को वास्ते जबाब प्रार्थना पत्र तलब किया गया। गै0सा0 की ओर से वकालतनामा पेश किया गया। पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा में पेश हुई। वकील गै0सा0 को जबाब पेश करने का समय दिया गया। बार-बार समय दिये जाने के बावजूद जबाब पेश नहीं करने से जबाब बन्द किया जाता हैं। सायलान के पक्ष में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22/12/2014 को अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो चुकी हैं। सायलान की पैतृक व पुश्तैनी आराजी भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादित भूमि का विक्रय व हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को पाबन्द किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता हैं कि सरहद मौजा-केकिन्दडा, पटवार हल्का-केकिन्दडा, तहसील-जैतारण में खसरा नम्बर 140 रकबा 2-14 बीघा, खसरा नंबर 140/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 140/4 रकबा 1-13 बीघा, खसरा नंबर 144 रकबा 4-18 बीघा, खसरा नंबर 145 रकबा 3-03 बीघा, खसरा नंबर 148 रकबा 0-09 बीघा, खसरा नंबर 149 रकबा 0-12 बीघा, खसरा नंबर 155 रकबा 2-06 बीघा, खसरा नंबर 156 रकबा 2-07 बीघा, खसरा नंबर 178 रकबा 5-17 बीघा, खसरा नंबर 270 रकबा 5-16 बीघा, खसरा नंबर 270/1 रकबा 0-01 बीघा, खसरा नंबर 272 रकबा 1-01 बीघा, खसरा नंबर 323 रकबा 34-09 बीघा, खसरा नंबर 324 रकबा 58-15 बीघा, खसरा नंबर 608 रकबा 10-16 बीघा, खसरा नंबर 773/1 रकबा 10-10 बीघा, खसरा नंबर 779 रकबा 15-01 बीघा, खसरा नंबर 783/1 रकबा 6-08 बीघा, खसरा नंबर 824 रकबा 13-10 बीघा, कुल खसरा 20 कुल रकबा 180-07 बीघा व खसरा नंबर 254 रकबा 12-18 बीघा, खसरा नंबर 260 रकबा 4-16 बीघा, कुल खसरा 02 कुल रकबा 17-14 बीघा भूमि की राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाये रखने एवं विवादित भूमि का विक्रय व हस्तान्तरण करने से गै0सा0 को न्यायालय हाजा द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 22/12/2014 को वाद के निर्णय तक पुख्ता किया जाता हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता पत्रावली दाखिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 13/07/2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र-केकिन्दड़ा पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला-पाली (राज0)

Scanned by CamScanner